

पत्र संख्या-वन भूमि-06/2017- 2185

व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 24/05/2017

विषय :- सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वन भूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0 एम0 जंगल-झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-243 दिनांक-29.03.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की समीक्षोपरान्त निम्नांकित त्रुटियाँ/कमियाँ परिलक्षित हो रही है :-

- (1) सी0सी0एल0 के के0डी0 हेसालोंग परियोजना के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र को 717.17 हे0 दर्शाया गया है। 717.17 हे0 का Break up के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1976 तथा वर्ष 2013 में C.B. Act के तहत क्रमशः 326.56 हे0 तथा 158.22 हे0 अर्जित है। वर्ष 1985-86, 1987-88 तथा 1989-90 में क्रमशः 17.19 हे0, 26.78 हे0, 16.35 हे0 तथा 41.71 हे0 Land Acquisition Act के तहत अर्जित है। वर्ष 1996 तथा 2006 में F.C. Act के तहत प्राप्त स्वीकृति क्रमशः 101.41 हे0 एवं 28.95 हे0 को भी उक्त विवरणी में जोड़ दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।
- (2) प्रस्ताव के साथ अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति संलग्न नहीं है।
- (3) पूर्व स्वीकृत क्षेत्र में संभवतः सेफ्टी जोन के अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सेफ्टी जोन क्षेत्र के अपयोजन की स्वीकृति भी आवश्यक होगी।
- (4) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
- (5) प्रस्ताव के साथ संलग्न लैंड शिड्यूल तथा FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र तथा जंगल-झाड़ के NOC के Plot वार रकबा में अंतर है।
- (6) प्रस्ताव के साथ 5 वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण की योजना संलग्न है, जबकि संभवतः 10 वर्षीय योजना समर्पित किया जाना अपेक्षित है।

OK

- (7) प्रस्ताव के पार्ट-II की कंडिका-4 में प्रस्तावित वनभूमि का घनत्व 0.3 प्रतिवेदित है परन्तु कंडिका-5 में Enumeration of trees के कॉलम में शून्य प्रतिवेदित है, जो स्वतः विरोधाभासी है।
- (8) प्रस्ताव के पार्ट-II की कंडिका-4 में Eco Class-1 प्रतिवेदित है। Eco Class-I में Tropical Wet Evergreen Forest, Tropical Semi Evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forest सम्मिलित है। इस परियोजना में सन्निहित वनभूमि के Eco Class पर पुनर्विचार आवश्यक प्रतीत होता है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य की आवश्यकता है :-

- (क) के०डी०एच० परियोजना से संबंधित कुल लीज क्षेत्र की विवरणी।
- (ख) अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति।
- (ग) सेपटी जोन के अपयोजन का प्रस्ताव।
- (घ) प्रस्ताव के साथ समर्पित Land Schedule की वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति तथा इसके अनुरूप FRA प्रमाण पत्र तथा जंगल-झाड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (ङ) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य।
- (च) दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना।
- (छ) वृक्षों की गणना सूची एवं तदनुरूप पार्ट-II की कंडिका-5 में सुधार कर प्रतिवेदन।
- (ज) प्रस्ताव की कंडिका-4 में Eco Class की पुर्नजाँच कर, यदि आवश्यक हो तो सुधार कर, संशोधित पार्ट-II की प्रति।

अनुरोध है कि उक्त वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-06/2017- 2185

व०प०, राँची, दिनांक- 24/05/17

प्रतिलिपि-उप महाप्रबंधक, (पर्यावरण एवं वन) सी०सी०एल०, दरभंगा हाउस, राँची, झारखण्ड-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव